सीएसआइआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान
राजभाषा अनुभाग

सं. 20-1/13/18-राभा.

दिनांक 08.10.2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय - संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक ।

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अक्टूबर से दिसंबर मास 2018 तक की तिमाही बैठक **12 अक्टूबर 2018** को प्रात: 11.00 बजे सम्मेलन कक्ष (कॉफ्रेंस रूम) में होगी । बैठक की कार्यसूची निम्नलिखित है -

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली तिमाही बैठक की कार्रवाई की पुष्टि व बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई पर विचार ।
2. संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर विचार ।
3. संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति को दिए गए आश्वासनों पर विचार ।
4. संस्थान में हिंदी गतिविधियों के नियमित आयोजन पर विचार ।
5. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय ।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि उपर्युक्त दिनांक व समय पर बैठक में शामिल रहें । यह निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

(संजय चौधरी)
हिंदी अधिकारी व
सदस्य सचिव, राकास

प्रतिलिपि -

1. निदेशक महोदय के निजी सचिव - सूचनार्थ
2. प्रशासन नियंत्रक कार्यालय
3. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य
4. प्रभागीय प्रमुख, सिविल - 12 अक्टूबर 2018 को **प्रात: 09.00 बजे** से **सम्मेलन कक्ष (कांफ्रेंस रूम)** को आरक्षित करने तथा आवश्यक व्यवस्था करने के अनुरोध सहित ।
5. प्रभागीय प्रमुख, सीसीएन - इस कार्यालय ज्ञापन को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु ।
6. प्रभागीय प्रमुख, आइएलटी - सूचनार्थ
7. कार्यालय प्रति

Smt. Reeta for n.a. pl.

09/10/18

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 10.07.2018 में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई	
निर्णय	**कार्रवाई**
<u>मद सं. 1</u> बैठक में सदस्य सचिव ने बताया कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली तिमाही बैठक दिनांक 10/07/2018 को हुई । इसका कार्यवृत्त सभी सदस्यों को जारी किया गया था । कार्यवृत्त के बारे मे किसी से कोई प्रतिकूल/संशोधन टिप्पणी प्राप्त नही हुई है ।	**मद सं.** 1 - समिति द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि अपेक्षित ।
<u>मद सं.1.1</u> बैठक में सदस्य सचिव ने बताया कि हिंदी कार्यान्वयन को गति देने के लिए नए भर्ती हुए कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें संस्थान के पूर्व वरिष्ठ हिंदी अधिकारी डॉ अनंग पाल, ने सरकारी कामकाज में हिंदी की मात्रा बढाने से सम्बंधित चर्चा की एवं राजभाषा नीति, नियमों एवं अधिनियमों की जानकारी दी । सदस्य सचिव ने बताया कि वर्तमान तिमाही के दौरान प्रकाशन हेतु हिंदी की गृह-पत्रिका 'सड़क दर्पण' अंक 16 को लगभग तैयार कर लिया गया है। निदेशक महोदय ने 'सड़क दर्पण' में प्रकाशित होने वाली सामग्री की चर्चा की । उन्होंने बताया कि 'सड़क दर्पण' में 'इतिहास के पन्नों से..' नामक स्तंभ शुरू किया गया है जिसमें सीआरआरआई के इतिहास को उद्धृत किया जा रहा है । 'सड़क दर्पण' की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निदेशक महोदय ने सड़क दर्पण पत्रिका के लिए सभी प्रभागों को रचनात्मक सहयोग देने के लिए कहा । **कार्रवाई.. <u>राजभाषा अनुभाग व सभी प्रमुख</u>**	**मद सं.** 1.1 - संस्थान की गृहपत्रिका 'सड़क दर्पण' का अंक 16 का प्रकाशन किया गया तथा संस्थान के सभी अनुभागों/प्रभागों में इसका वितरण किया गया ।
<u>मद सं. 2</u> तिमाही के लिए अनुभागों एवं प्रभागों से प्राप्त राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी प्रगति रिपोर्ट के आंकड़ों पर चर्चा की गई । सदस्य सचिव ने बताया कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के समर्थन में प्रशासनिक अनुभागों द्वारा पत्राचार आदि का रिकार्ड संलग्न न किए जाने तथा रिकार्ड का समुचित रखरखाव न होने के कारण रिपोर्ट में गलत आंकड़े दिए जाने की संभावना बनी रहती है । प्रशासन नियंत्रक ने चर्चा में कहा कि इसके लिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट में भरे जाने वाले कार्यालय ज्ञापन/परिपत्र (धारा 3(3) के दस्तावेज), फाइलों/दस्तावेजों पर लिखी गई टिप्पणियों, एवं भेजे गए पत्र (क्षेत्र एवं भाषा सहित) इत्यादि सभी प्रकार के आँकड़े उचित विधि से भरने के लिए अनुभाग/प्रभाग द्वारा आँकड़ों का नियमित रखरखाव आवश्यक है। रिकार्ड का समुचित रखरखाव करने की जिम्मेदारी अनुभागीय/ प्रभागीय प्रमुख के निजी सहायक अथवा तिमाही प्रगति रिपोर्ट भरने वाले संपर्क अधिकारी की होगी । यह भी आवश्यक है कि फाइलों/ दस्तावेजों पर तथा अन्य सरकारी कार्यों में आधिकारिक तौर पर संबंधित अधिकारी द्वारा हिंदी में ही हस्ताक्षर करने को प्राथमिकता दी जाए । धारा 3(3) के दस्तावेज संबंधी नियमों के अनुपालन तथा पत्राचार के लिए निर्दिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी इन पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होती है । यह भी सुनिश्चित किया गया कि अगली तिमाही प्रगति रिपोर्ट में एमबीएसक्यू से भी तिमाही प्रगति रिपोर्ट भरकर मँगवाई जाएगी । निदेशक महोदय ने निदेश दिया कि सीआरआरआई वेलफेयर समिति से भी तिमाही के संबंध में संपन्न आयोजनों की संक्षिप्त रिपोर्ट मंगायी जानी चाहिए । **कार्रवाई.. <u>सभी अनुभागीय/प्रभागीय प्रमुख व सचिव, वेलफेयर समिति</u>**	**मद सं. 2** - तिमाही प्रगति रिपोर्ट में भरे जाने वाले धारा 3(3) के दस्तावेज, फाइलों/दस्तावेजों पर लिखी गई टिप्पणियों एवं भेजे गए पत्र (क्षेत्र एवं भाषा सहित) इत्यादि सभी प्रकार के आँकड़े उचित विधि से भरने के लिए कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया तथा अनुभाग/प्रभाग के प्रमुखों द्वारा आँकड़ों का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया । एमबीएसक्यू से पूरी रिपोर्ट तथा सीआरआरआई वेलफेयर समिति एवं मनोरंजन कलब से तिमाही के संबंध में संपन्न आयोजनों व हिंदी कार्यों की संक्षिप्त रिपोर्ट मंगाने के लिए कार्रवाई की गई है ।

द सं. 3 सदस्य सचिव ने बताया कि संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति को संस्थान द्वारा दिए गए आश्वासनों को पूरा करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि प्रशासन के अनुभागों में राजभाषा के कार्य में वृद्धि की जाए । इसके लिए प्रशासनिक अनुभागों में नियुक्त हुए सहायकों को प्रशासनिक शबदावली देने का प्रस्ताव है । सभी अनुभागीय प्रमुखों से अनुरोध किया गया कि नये कार्मिकों को मूल हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करें । हिंदी में पत्राचार के संबंध में डॉ. राकेश कुमार, प्रमुख, आरपी ने हिंदी में पत्र तैयार करने संबंधी कठिनाई की चर्चा की और राजभाषा अनुभाग द्वारा पत्रों के हिंदी अनुवाद की आवश्यकता बताई । निदेशक महोदय ने कहा कि पत्र लिखने वाला अपनी बात को अधिक स्पष्ट ढंग से मिली-जुली भाषा में अभिव्यक्त कर सकता है और इसके लिए अनुवाद की कृत्रिम भाषा का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए । संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के संदर्भ में भी यह आवश्यक है कि हिंदी में अनुवाद की बजाय मूल रूप से हिंदी में काम करने का प्रयास किया जाए । समिति ने निर्णय लिया कि प्रशासन में नव-नियुक्त कार्मिकों द्वारा अधिकतम कार्य हिंदी में किया जाएगा । **कार्रवाई.. राजभाषा अनुभाग एवं सभी प्रमुख**	**मद सं. 3** - नये कार्मिकों को मूल हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 27.09.2018 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इसमें डिजिटल टूल्स की सहायता से हिंदी में मौलिक काम करने की विधि का प्रदर्शन व अभ्यास कराया गया । साथ ही, कार्यशाला में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम 2018-19 में सम्मिलित राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेशों एवं निर्धारित लक्ष्यों के बारे में बताया गया ।
मद सं. 3.1 बैठक में चर्चा के दौरान यह अनुभव किया गया कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम 2018-19 में दिए गए लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हिंदी में कार्य को बढ़ाया जाना आवश्यक है, जिसके लिए सौ प्रतिशत कार्य हिंदी में अथवा द्विभाषी रूप में होना अनिवार्य है । इसके लिए सीएसआईआर को भेजे जाने वाले सभी पत्रों को प्राथमिकता के तौर पर हिंदी में ही तैयार करके भेजा जाना चाहिए। भारत सरकार के निदेशों के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों का यह संवैधानिक दायित्व है कि वे अपने सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करें। सदस्य सचिव ने बताया कि सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए पिछली तिमाही के दौरान राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से जारी डायरी एवं कैलेंडर वितरित किए गए हैं । साथ ही, राजभाषा अनुभाग द्वारा हिंदी ज्ञान संबंधी प्रपत्र भरवाए गए हैं जिन्हें समेकित करने का कार्य किया जा रहा है जिससे संस्थान के कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की स्थिति को अद्यतन किया जा सके । यह भी चर्चा की गई कि सभी अनुभागीय/प्रभागीय प्रमुख उन स्टाफ सदस्यों के भरे हुए फार्म भेजना सुनिश्चित करें जिनके फार्म अभी तक राजभाषा अनुभाग को प्राप्त नहीं हुए हैं । **कार्रवाई.. सभी अनुभागों/प्रभागों के प्रमुख**	**मद सं. 3.1** - राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम 2018-19 में दिए गए लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी कार्मिकों को निदेशक महोदय के हस्ताक्षर से व्यक्तिश: आदेश जारी किए गए।
मद सं. 3.2 संघ सरकार की राजभाषा नीति के संदर्भ में संस्थान में राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति पर चर्चा की गई । समिति के सदस्यों को सूचित किया गया कि सीएसआईआर पत्रांक 41(14)/2016 दिनांक 02.03.2018 के द्वारा अग्रेषित वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुच्छेद संख्या 8.09 में राजभाषा नीति संबंधी स्पष्टीकरण मांगा गया है । इसके लिए यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि मानक प्रारूप, प्रपत्र, टिप्पणियों, सरकारी दस्तावेजों एवं अन्य सभी कागजातों को हिंदी अथवा द्विभाषी भाषा रुप से तैयार किया जाना चाहिए । जीईएम के लागू होने के परिणामस्वरूप संशोधित क्रय मांगपत्रों (इंडेंट) को राजभाषा अनुभाग द्वारा पूर्ण रूप से	**मद सं. 3.2** - संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति को संस्थान द्वारा दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के संबंध में सभी अनुभागीय/प्रभागीय प्रमुखों द्वारा अनुपालन और अपेक्षित कार्रवाई के लिए निदेशक महोदय के हस्ताक्षर से कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया । महानिदेशक, सीएसआईआर के पत्र की प्रति ईमेल के द्वारा सभी अनुभागीय/प्रभागीय प्रमुखों को भेजी गई ।

द्विभाषी तैयार करके इंट्रानेट पर अपलोड करने हेतु क्रय अनुभाग को भेजा जा चुका है । सदस्य-सचिव ने बताया कि संस्थान के सभी मानक प्रारूप, प्रपत्र आदि पहले ही राजभाषा अनुभाग द्वारा द्विभाषी रूप में तैयार किए जा चुके है जिनका प्रचलन/प्रयोग सुनिश्चित करना अनुभागीय/ प्रभागीय प्रमुखों की जिम्मेदारी है । कंप्यूटर में हिंदी कार्य की सुविधा के संबंध में निर्णय लिया गया कि संस्थान में मंगाए जाने वाले कंप्यूटरों एवं लैपटॉप के लिए मांगकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि इनके संस्थापन (इंस्टॉलेशन) के समय हिंदी सॉफ्टवेयर भी सक्रिय करवाए जाएं तथा हिंदी सक्रिय होने पर ही संस्थापन (इंस्टॉलेशन) रिपोर्ट दी जाए। हिंदी सॉफ्टवेयर सक्रिय न होने की स्थिति में मांगकर्ता/उपयोगकर्ता को जिम्मेदार माना जाएगा । **कार्रवाई.. <u>सभी अनुभागीय/प्रभागीय प्रमुख एवं सभी कंप्यूटर उपयोगकर्ता</u>**	
<u>मद सं. 4</u> सदस्य सचिव ने बताया कि हिंदी में कार्य के प्रति सबका उत्साह बढ़ाने के लिए संस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों को मिली-जुली भाषा में आयोजित किया जाता है तथा राजभाषा अनुभाग के सहयोग से भविष्य में भी इसे जारी रखा जाना अपेक्षित है । पिछली तिमाही के दौरान संस्थान द्वारा आयोजित ऐसे कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रौद्योगिकी दिवस व्याख्यान तथा जीईएम के द्वारा खरीद प्रक्रिया पर प्रशिक्षण सम्मिलित है। सदस्य सचिव ने हिंदी कार्यान्वयन को गति देने के लिए आगामी कार्यक्रमों की चर्चा की । इसके अंतर्गत सितंबर माह में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी प्रतियोगिताओं के अलावा आमंत्रित व्याख्यान का आयोजन तथा प्रोत्साहन पुरस्कार योजनाओं का कार्यान्वयन सम्मिलित है। समिति के समक्ष हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों का ब्यौरा रखा गया । निदेशक महोदय ने निदेश दिया कि पखवाड़े के प्रस्तावित कार्यक्रम पर सभी अनुभागीय/प्रभागीय प्रमुखों से सुझाव आमंत्रित किए जाएं जो प्रमुखों द्वारा 15 दिन के अंदर राजभाषा अनुभाग को भेज दिए जाएंगे । **कार्रवाई ..<u>राजभाषा अनुभाग व सभी प्रमुख</u>**	**मद सं. 4** संस्थान में 31.08.2018 से 14.09.2018 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया । पखवाड़े के दौरान हिंदी प्रतियोगिताओं के अलावा आमंत्रित व्याख्यान का आयोजन, प्रोत्साहन योजनाओं का कार्यान्वयन, पुरस्कार वितरण आदि गतिविधियां संपन्न की गईं ।
<u>मद सं. 4.1</u> सदस्य सचिव ने बताया कि वर्तमान तिमाही में हिंदी दिवस से संबंधित गतिविधियों के आयोजन को देखते हुए संस्थान के स्तर पर हिंदी कार्य में वृद्धि किया जाना अपेक्षित है । संसदीय राजभाषा समिति द्वारा सीएसआईआर मुख्यालय के हाल में हुए निरीक्षण के संदर्भ में राजभाषा नीति एवं नियमों का पालन करना संस्थान के प्रत्येक कार्मिक का दायित्व है । <u>संस्थान द्वारा दिए गए राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी आश्वासनों एवं भारत सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हर स्तर पर प्रयास जरूरी है ।</u> बैठक में सूचना पट्ट पर लगाई जा रही सूचनाओं, परिपत्र आदि के केवल अंग्रेजी में होने पर भी चर्चा की गई । यह निर्णय लिया गया कि अनुरक्षण प्रभाग के द्वारा सभी सूचना पट्टों के ऊपर इस आशय की स्थाई प्लेट (पट्टिका) लगवाई जाए कि **'प्रदर्शित सूचनाएं केवल हिंदी अथवा द्विभाषी होनी चाहिए'** । अनुरक्षण प्रभाग यह सुनिश्चित करेगा कि सूचना पट्ट पर प्रदर्शित हर प्रकार की सामग्री, निर्देशों/नियमों के अनुसार हैं । **कार्रवाई ..<u>सभी अनुभागीय/प्रभागीय प्रमुख एवं प्रभागीय प्रमुख, अनुरक्षण प्रभाग</u>**	**मद सं. 4.1** सभी सूचना पट्टों के ऊपर स्थाई प्लेट (पट्टिका) लगवाने एवं नियमों के अनुसार सूचनाओं का प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए अनुरक्षण प्रभाग के द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी गई ।